फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

श्री गणेश लाल पुत्र श्री लादू लाल माली निवासी करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

--प्रार्थी।

बनाम

1--श्री लादू लाल पिता श्री प्यारा माली निवासी करेड़ा तहसील करेड़ा (भीलवाड़ा) वगैरा।

--विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र धारा 212 रा0काश्त03101955 प्रकरण संख्या 20 सन् 2020

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.02.2020	प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र पेश हुआ। वाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पर अंतरिम अरथाई निषेधाज्ञा पर एक तरफा वहस करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता की एक तरफा वहस समायत की गई। प्रकरण में प्रार्थी के अधिवक्ता ने एक तरफा वहस के दौरान निवेदन किया कि ग्राम करेड़ा पटवारी हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा के खाता सं0 1595 की आ0नं0 3544 रकवा 2.13 बीघा एवं खसरा नं. 3545 रकवा 5.07 बीघा कुल किता 2 रकवा 8.00बीघा भूमि प्रार्थी एवं विपक्षीगण संख्या 01 व 06 का 1/2 हक हिस्सा नियत है एवं उक्त कृषि भूमि अविभाजित होकर 1/2 हिस्से में मनीषा देवी पत्नि विमल कुमार मेड़तवाल निवासी करेड़ा है जो प्रार्थना पत्र में विपक्षी संख्या 07 होकर इनके हक हिस्से के बावत् कोई विवाद नहीं है। उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात में से प्रार्थी एवं विपक्षीगण 01 व 06 का 1/2 हक हिस्सा नियत है, उक्त कृषि भूमि प्रार्थी एवं विपक्षीगण की मोरूसी एवं पुश्तैनी होने से विरासत में प्राप्त हुई है एवं वर्तमान में उक्त आराजी विपक्षी संख्या 01 के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। उक्त पुश्तैनी आराजीयात में प्रार्थी एवं विपक्षीगण संख्या 03 से 06 का जन्म से ही हक हिस्सा नियत होकर 1/2 में से प्रत्येक का 1/14 यानि कुल 5/14 हिस्सा कानूनन होने से विपक्षी संख्या 01 को उक्त कृषि भूमि के सम्पूर्ण 1/2 हक हिस्से को रहन बय बक्षीस खुर्द-बूर्द करने का कोई कानूनी अधिकारी नहीं हैं। फिर भी विपक्षी संख्या 01 ने विपक्षी सं. 02 के पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 30.01.2020 को निष्पादित किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक अरथाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावें की प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 02 मे वर्णित आराजीयात के उपयोग/उपभोग में विपक्षीगण किसी प्रकार की बाधा/रूकावट उत्पन्न नहीं करें एवं न ही जवरन बेदखल करें। राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने बाबत् पावन्द करावें। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया के अधिवक्ता की अंतरिम अरथाई निषेधाज्ञा की एक तरफा वहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में होकर अरथाई निषेधाज्ञा इस आशय की आगामी तारीख पेशी तक जारी की जाती है कि उभय पक्ष प्रश्नगत आराजीयात के सम्बन्ध में मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। आदेश 39 नियम 03 की पालना हो। पत्रावली दिनांक 24.03.2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर करेड़ा	

न्यायालय उपखंड अधिकारी करेड़ा

प्र०सं० 20/2020 प्रार्थना

गणेश माली बनाम लादूलाल माली

24/3/20 उभय प[illegible] राजकीय कार्य से बा[illegible] /पदरिक्त है अतः पत्रावली दिनांक 5/5/2020 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी.करेड़ा

5/5/2020 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। ~~अवकाश पर है/पदरिक्त है~~ अतः पत्रावली दिनांक 23/6/2020 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी.करेड़ा

23/6/2020 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में वादी/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में अब आगे कोई कार्यवाही आपसी राजीनामा होने से नहीं चाहता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली में वादी द्वारा अब कोई कार्यवाही नहीं चाहने से यह स्टे पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम की जावे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा.